श्री राजनारायण : मैं आपकी खिदमत में आपके द्वारा यह भेज दूं · ·

उपसभापति : यह आप मिनिस्टर साहब को दे सकते हैं।

श्री अर्जुन अरोड़ा (उत्तर प्रदेश) : दस्तखत करके दें।

(3) A CASE OF ALLEGED VIOLATION OF GOLD CONTROL ORDER

श्री राजनारायण (उत्तर प्रदेश) : माननीया, यह बहुत ही अहम मसला था। और अब जो दूसरा कालिंग अटेन्शन है, वह बहुत ही बड़े रहस्य, राज, को खोलने वाला है। इसलिये मैं पहले ही अदब के साथ, आपके जरिये, सदन के सम्मानित सदस्यों से अपील कर देना चाहता हूं कि जरा इसको भी ठीक से सुनेंगे।

श्री चिरंजीलाल श्रीलाल गोयनका ने करीब 17 लाख रुपये का सोना तथा जेवरात · · ·

उपसभापति : यह आपने कालिंग अटेन्शन दिया है क्या?

श्री राजनारायण : जी हां, हमने लिखा है।

श्री महेश्वर नाथ कौल (नाम-निर्देशित) : सब्जेक्ट क्या है?

श्री राजनारायण : सब्जेक्ट यह है कि गोल्ड कन्ट्रोल आर्डर के बिलकुल उलटे ही चिरंजीलाल श्रीलाल गोयनका ने काम किया और हाई कोर्ट आफ जुडीकेचर फार राजस्थान, जोधपुर, का जजमेन्ट भी हमारे पास है। उस जजमेन्ट में श्री चिरंजीलाल गोयनका · · ·

THE DEPUTY CHAIRMAN: You refer to the substance of the calling attention notice . . .

श्री राजनारायण : जी हां, वही बता रहा हूं।

THE DEPUTY CHAIRMAN : Do not emphasise on mentioning the names.

श्री राजनारायण : मैं जब उसको पढ़ता हूं लोग घबड़ाने लगते हैं।

उपसभापति : यह ठीक है, हमने कालिंग अटेन्शन नोटिस देखा नहीं है। If you have put in a calling attention notice, I would request you to give the substance of the thing rather than the names. The names need not come at this stage.

SHRI SYED AHMED (Madhya Pradesh) : We have not seen the calling attention notice that he hSs given to the Government. He is reading.

श्री राजनारायण : मैं आपसे अर्ज करूं कि मैंने इसको पढ़कर चेयरमैन साहब को सुनाया था। चेयरमैन साहब ने कहा था कि आपने जो लिख कर के दिया है उसको पढ़ दीजिए और पढ़ने के बाद जो जजमेन्ट है उसका पोरशन हम आपकी खिदमत में बता देंगे। उसको हमने बहुत से लोगों को दिखाया है। तो श्री चिरंजीलाल श्रीलाल गोयनका ने करीब 17 लाख रुपये का सोना और जेवरात गोल्ड कन्ट्रोल आर्डर से बचने के लिये अपने घर में छिपा रखा था। इन्कमटैक्स अधिकारियों ने 24 नवम्बर 1965 को इनके बम्बई के घर में तथा कार्यालय में तलाशी ली। 1 दिसम्बर से 23 दिसम्बर तक उनके रामगढ़, राजस्थान के घर की तलाशी ली। जनवरी 1966 में भी कुछ स्थानों पर तलाशी ली। गोल्ड कन्ट्रोल आर्डर का उल्लंघन करने के आरोप पर गोयनका पर मुकद्दमा चलाया। मुकद्दमें से बचने के लिये गोयनका ने एक जाली खत बनाया स्टेट बैंक आफ इंदौर के लिये 18 नवम्बर 1965 को कि वे अपना गोल्ड टेन्डर करना चाहते हैं गोल्ड बान्ड स्कीम के अंदर। हाई-कोर्ट ने सभी बातों को देखते हुए जजमेंट दिया है जिसमें लिखा है कि गोयनका ने

जो प्रोफोर्मा दाखिल किया 18 नवम्बर 1965 को यह प्रोफोर्मा अस्तित्व में था ही नहीं। जजमेंट में यह भी लिखा है और मुकद्मे से बचने के लिए बाद में खत पर 18 नम्बर 1965 की तारीख दे दी गई है।

उपसभापति : पढ़ने की जरूरत नहीं है।

श्री राजनारायण : मैं आपकी खिदमत में यह अर्ज करना चाहता हूं कि आप जरा धीरज न खोयें। मेरा सवाल है कि जब हाई कोर्ट का जजमेंट आ गया और हाई कोर्ट के जजमेंट में गोयनका दोषी पाये गये और उनके ऊपर फोर्जरी का आरोप लगाया गया, गड़बड़ी करने का आरोप लगाया गया, ब्लैक मेल और तारीख बदलने का आरोप लगाया गया तब आज इस सरकार से मेरा सवाल है कि गोयनका के विरुद्ध सरकार फोर्जरी का मुकद्मा क्यों नहीं चलाती है ? सरकार मुकद्मा क्यों नहीं चलाती तारीख बदलने का ? माननीया, यह सवाल बहुत इम्पोटस रखता है और इससे बड़े-बड़े लोग संबंधित हैं। इसलिए जो राजस्थान के शहर जोधपुर के हाईकोर्ट में जजमेंट हुआ है उसके . . .

श्री ब्रजकिशोर प्रसाद सिंह (बिहार) : डेट क्या है ?

श्री राजनारायण : अभी पढ़े देता हूं।

THE DEPUTY CHAIRMAN : You are not on the Calling Attention Notice; it is only just explaining. The Chair has permitted you to mention about it. You cannot go into the details of the judgment. You have only to mention the substance of your Calling Attention Notice. I do wish that Members would know that you are given permission by the Chair to mention about the Calling Attention Notice even thought it is not on the Order Paper. Therefore, Members also should be have with a sense of responsibility and just mention the substance in a very brief manner

AN HON. MEMBER : 1 would say, misplaced generosity.

Tufe DEPUTY CHAIRMAN : Pleaste carry on, Mr. Rajnarain.

(Shri Rajnarain started reading.)

SHRI SYED AHMED : He is reading from the judgment.

THE DEPUTY CHAIRMAN: If you are reading from the judgment, that will not be there in the proceedings because the Chair has given the directive that you must not read anything but you have only to give the substance. If you still insist on reading from the judgment, it will not go into ihe records.

श्री राजनारायण : आपने यह हुक्म दे दिया है और मैं यह जानना चाहता हूं कि आपने क्या हुक्म दिया है ?

उपसभापति : आप सब्सटेंस दीजिये।

श्री राजनारायण : जो सब्सटेंस है, वही पढ़ रहा हूं क्योंकि जजमेंट तो 70 पेज का है। आपने सब्सटेंस पढ़ने की इजाजत दी है, इसलिए मैं पढ़ रहा हूं।

उपसभापति : आपने गलत समझा है।

श्री राजनारायण : मैं आधे मिनट में खत्म कर दूंगा।

THE DEPUTY CHAIRMAN : You must not read.

श्री राजनारायण : मैं आधा मिनट से ज्यादा समय नहीं लूंगा।

श्री आबिद अली (महाराष्ट्र) : कितने सैकंड का आपका आधा मिनट होता है ?

SUM RAJNARAIN. It will be finished within Half a minute.

THE DEPUTY CHAIRMAN: But you must not read from the judgment.

(Shri Rajnarain started reading.)

Order, order. That will do. You must not read. I was appealing to you.

श्री राजनारायण : जज ने अपने फैसले में लिखा है कि जो 18 नवम्बर 1965 के खत लिखने की बात है, वह गलत है। खत लिखा गया था बाद को और उसकी तारीख पहले की दे दी गई थी। जो उन्होंने प्रोफोर्मा अटैच किया है, वह प्रोफोर्मा 18 नवम्बर 1965 को एग्जिस्टेन्स में नहीं था। इसलिए इससे बचने के लिये श्री गोयनका ने यह सारा जाल बट्टा किया। तो मेरा निवेदन है कि इस तरह का जाल बट्टा आबजर्व होने के बावजूद भी अब तक गोयनका के विरुद्ध मुकद्दमा क्यों निहीं चलाया गया और इस सरकार को इस माने में मैं दोषी पाता हूं। मैं आपके जरिये से सरकार से निवेदन करूंगा कि गोयनका के ऊपर सरकार मुकद्दमा चलाये और इस संबंध में पूरे तरीके से कल सदन में सरकार आकर सफाई पेश करे।

THE DEPUTY CHAIRMAN : I want to tell this august House that he has only drawn attention to his Calling Attention Notice and therefore I do not propose to allow any other Member to ask any clarification now from the Government. I do hope that this august House will agree with the Chair that the official business must go on.

HON. MEMBERS . Yes, yes.

THE DEPUTY CHAIRMAN; If the official business is to go on, every Member must have a sense of duty and responsibility both.

SHRI BHUPESH GUPTA (West Bengal) : Why say 'official business' ? ^ay 'business'.

THE DEPUTY CHAIRMAN : Now we go on to introduction of Bill—The Industrial Disputes (Amendment) Bill, 1966.

SHRI NIREN GHOSH (West Bengal) : Madam, I took permission from the Chair to say . . .

THE DEPUTY CHAIRMAN : How can I go on. Have I to say the same thing every time ? I was appealing to you.

SHRI NIREN GHOSH : . . . that the information that was given was wrong and that the House was misguided.

THE DEPUTY CHAIRMAN : I want tc pass on to the next item. If yon have any information you must pass it on to the Government. I want to go on with the regular business because we have very few days and we have a number of items on the Order Paper. We must go on. Yes, the Industrial Disputes (Amendment) Bill, 1966 to be introduced by Shri Jagjivan Ram.

THE INDUSTRIAL DISPUTES (AMENDMENT) BILL, 1966

THE DEPUTY MINISTER *m* THE MINISTRY OF LABOUR, EMPLOYMENT AND REHABILITATION (SUM D. R. CHAVAN) ; Madam Deputy Chairman, I move for leave to introduce a Bill further to amend the Industrial Disputes Act, 1947.

The question was put und the motion was adopted.

SHRI D. R. CHAVAN : Madam, I introduce the Bill.

THE REPRESENTATION OF THE PEOPLE (AMENDMENT) BILL, 1966

THE MINISTER o* LAW (SHRI G. S. PATHAK) : Madam, I move :

"That this House concurs in the recommendation of the Lok Sabha that the Rajya Sabha do join in the Joint Committee of the Houses on the Bill further to amend the Representation of